(पीठासीन अधिकारी श्री रमेश कुमार आर.ए.एस.)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. वनाराम पुत्र सोनाराम, जाति जाट नि. दुठवा हाल कागोड़ा त. चितलवाना, जालोर		1.मूलाराम पुत्र सोनाराम, 2. लालाराम पुत्र सोनाराम 3. वीरमाराम पुत्र सोनाराम जति जाट नि. पादरड़ी चितलवाना 4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 5/16

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी सोनाराम
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ईकबाली जवाब
3. अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से राजपैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुठवा पटवार क्षेत्र दुठवा में प्रार्थी व अप्रार्थी का पुराना खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि जरिये बैचान दस्तावेज खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 यानि चारो का बराबर खातेदारी में अमल दरामद करना था। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी ने लिपीकीय भूल से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज कर दिया लेकिन प्रार्थी का नाम लिपीकीय भूल से दर्ज करना रह गया।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से बाद रिपोर्ट प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नम्बर मुर्तिब किया गये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लिपिकीय त्रुटि दुरस्त कर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव राजस्व रेकर्ड, प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया । अतः उक्त प्रार्थना पत्र बाबत धारा 136 **RLR ACT** को स्वीकार करना उचित समझता हूँ। ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर 136 **RLR ACT** स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दुठवा पटवार क्षेत्र दुठवा में प्रार्थी व अप्रार्थी का पुराना खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम वनाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार चितलवाना को तहरीर जारी है।

निर्णय आज दिनांक 6/6/18 को लोक अदालत कैम्प सैसावा में सुनाया गया।

(रमेश कुमार)